बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1
(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष (के० एस० शर्मा)
~~वैद्यनाथ प्रसाद~~
(~~बी. एन. प्रसाद~~)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : ~~2221706~~ (O) ~~2590816~~ (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या 25 दिनांक 1-10-05

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना,

सचिव,
नगर विकास विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय :- पटना नगर निगम अधिनियम- 1951 के प्रावधान के विरुद्ध अपर आयुक्त-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :-

1- पटना नगर निगम अधिनियम-1951 की धारा-50 के तहत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं धारा-54 के तहत उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त नगर अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, मुख्य लेखा पदाधिकारी जैसे पदों पर नियुक्ति का प्रावधान विभिन्न धाराओं में किये गये हैं ।

2- पटना नगर निगम अधिनियम-1951 के तहत अपर आयुक्त-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी जैसे पदों पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है । नगर विकास विभाग द्वारा अपर आयुक्त-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद की अधिसूचना निर्गत किया जाना पटना नगर निगम अधिनियम-1951 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के विरुद्ध है ।

3- पटना नगर निगम अधिनियम-1951 की धारा-54 के तहत

....2/-...

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1
(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph
अध्यक्ष
(के० एस० शर्मा)
~~वैद्यनाथ प्रसाद~~
(बी. ~~प्र. प्रसाद~~)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या 25 दिनांक 1-10-05

उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में करेंगे । इन दोनों पदाधिकारियों के बीच किसी तीसरे पदाधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्यों का पर्यवेक्षण करने का कोई प्रावधान नहीं है । स्पष्ट है कि उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीधे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के "एकाउन्टेबुल" [accountable] होगा ।

4- नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना द्वारा अपर आयुक्त-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी, पटना को, जो कार्यों का निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, वह पटना नगर निगम अधिनियम-1951 के प्रावधानों के "स्प्रीट" [spirit] के विरुद्ध है एवं अनियमित है ।

अतः संघ का नगर विकास विभाग से यह माँग है कि अपर आयुक्त-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी, पटना नगर निगम से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की जाय एवं उप मुख्य कार्यपालक पदाधिका के कार्यों का पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को करने हेतु निदेश देना चाहेंगे ।

विश्वासभाजन,
ह0/-

[कृष्ण मुरारी शर्मा]
अध्यक्ष ।

[विपिन कुमार सिन्हा]
महासचिव ।

प्रतिलिपि, सचिव, कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/10/05

[विपिन कुमार सिन्हा]
महासचिव ।